भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.-5979

उत्तर देने की तारीख 30.03.2026

आंध्र प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

†5979. **श्री बी. के. पार्थसारथी:**

श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में संस्वीकृत और संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला/ब्लॉक-वार संख्या कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश में के.जी.बी.वी. के पात्र ब्लॉकों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान के.जी.बी.वी. के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और उक्त राज्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन के.जी.बी.वी. की छात्र प्रवेश क्षमता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, आंध्र प्रदेश में जिला और ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) कार्यात्मक छात्रावासों वाले के.जी.बी.वी. की आंध्र प्रदेश में ब्लॉक और जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और प्रत्येक में उपलब्ध छात्रावास की क्षमता कितनी है; और

(च) विशेषकर उक्त राज्य के जिलों/ब्लॉकों में के.जी.बी.वी. के पूर्ण संचालन और बेहतर बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी) जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) से संबंधित बालिकाओं के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं।

आंध्र प्रदेश सहित देश में संस्वीकृत, प्रचालनरत, केजीबीवी की संख्या, और विगत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में संस्वीकृत, प्रचालनरत, केजीबीवी की संख्या, छात्र प्रवेश क्षमता और ईबीबी का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(च): शिक्षा, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण, अधिकांश स्कूल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। समग्र शिक्षा, सरकारी स्कूलों में अवसंरचना और अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है। केजीबीवी के लिए निधियां, पीएबी में अनुमोदन के बाद, समग्र शिक्षा के तहत जारी की जाती हैं, इसे अलग से जारी नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, आईसीटी प्रयोगशालाओं, शौचालयों, चहारदीवारी, सौर गीजर, फर्नीचर, बिस्तर प्रतिस्थापन और रसोई उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से केजीबीवी में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यथासूचित, केजीबीवी के पूर्ण संचालन और बेहतर अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

(i) चरणबद्ध तरीके से उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII) से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा VI-XII) तक केजीबीवी का स्तरोन्नयन।

(ii) रिक्तियों को भरने और उचित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए योग्य शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती।

(iii) सभी केजीबीवी अब अपने स्वयं के स्थायी (पक्के) भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे छात्रों के लिए स्थिरता और संवर्धित सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।

(iv) समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रयास में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी केजीबीवी में शौचालय और रैंप का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का निर्माण सुलभता मानकों के अनुसार किया गया है ताकि सभी छात्रों के लिए उपयोग में आसानी सुनिश्चित की जा सके।

योजना की प्रगति की निगरानी पीएबी के साथ-साथ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा मासिक और अर्ध-वार्षिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है। केजीबीवी को तेजी से पूरा करने और इन्हें संचालित करने के लिए इस मामले पर राज्यों के साथ नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

अनुलग्नक-I

आंध्र प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बी. के. पार्थसारथी व श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 30.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5979 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में संस्वीकृत, प्रचालनरत, केजीबीवी की संख्या और विगत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:-

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	कुल अनुमोदित केजीबीवी	कुल कार्यशील केजीबीवी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	587	528	32980.87	65409.24	74997.59	43642.73	46410.07
2	अरुणाचल प्रदेश	82	78	3920.51	6010.94	8420.2	13574.37	5322.86
3	असम	162	151	6803.26	12060.24	14868.24	10154.74	11131.65
4	बिहार	727	683	20270.42	25063.88	37582.13	42347.65	43393.39
5	छत्तीसगढ़	121	121	5180.66	8745.06	5936.15	9244.54	6570.25
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	2	38.44	68.98	85.32	88.57	93.35
7	गुजरात	170	168	6007.05	15150.3	23869.99	15258.37	11912.67
8	हरियाणा	72	65	2342.64	6590.62	3634.7	5041.61	5273.65
9	हिमाचल प्रदेश	14	14	405.19	602.96	607.99	1093.56	754.24
10	जम्मू और कश्मीर	176	94	3810.84	4487.72	6513.9	6162.51	5861.43
11	झारखंड	203	203	15954.84	20128.52	19801.23	20283.35	20283.35
12	कर्नाटक	146	145	4658.67	7183.32	9875.35	7264.52	8432.28
13	केरल	1	1	29.48	39.81	39.73	39.73	39.73
14	लद्दाख	20	15	385.07	568.7	644.3	705.57	527.96
15	मध्य प्रदेश	408	408	12018.13	22484.99	24327.68	24804.16	22935.28
16	महाराष्ट्र	86	85	2386.57	4209.65	5254.83	4299.3	4334.36
17	मणिपुर	12	12	1698.77	2785.28	1130.4	1112.44	1093.29
18	मेघालय	19	10	445.29	667.97	790.28	543.37	725.57
19	मिज़ोरम	2	2	49.89	49.53	307.44	102.97	434.45
20	नागालैंड	22	22	500.37	856.35	1243.41	910.89	1088.19
21	ओडिशा	355	324	11172.74	27614.48	29228.07	23554.85	23045.56
22	पंजाब	29	29	1005.59	1417.93	1452.97	1882.02	1585.2
23	राजस्थान	316	316	13439.92	24111.84	28201.74	25855.1	22433.48
24	सिक्किम	1	1	68.6	248.59	90.09	100.99	92.1
25	तमिलनाडु	105	105	4399.92	5254.81	5335.69	5789.1	6017.41
26	तेलंगाना	736	721	33447.82	57042.18	63152.61	65461.38	55777.94
27	त्रिपुरा	15	15	694.8	865.83	817.07	981.22	1916.64
28	उत्तर प्रदेश	841	783	50649.4	55378.94	172494.04	114408.53	130732.63
29	उत्तराखंड	40	39	1809.63	2254.54	2217.55	3882.82	3632.64
30	पश्चिम बंगाल	169	158	6800.13	6122.55	5284.95	6547.07	7964.13
कुल		**5639**	**5298**	**243375.5**	**383475.78**	**548205.62**	**455138.02**	**449815.75**

स्रोत: प्रबंध

अनुलग्नक -II

आंध्र प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बी. के. पार्थसारथी व श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 30.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5979 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में संस्वीकृत, प्रचालनरत, केजीबीवी की संख्या, छात्र प्रवेश क्षमता और ईबीबी का जिला-वार ब्यौरा:-

क्र. सं.	जिले का नाम	संस्वीकृत केजीबीवी की सं.	कार्यशील केजीबीवी की सं.	प्रवेश क्षमता	ईबीबी की संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	32	20	5420	19
2	अनकापल्ली	40	29	6500	20
3	अनंतपुरम	51	48	10560	32
4	अन्नामय्या	39	37	7660	22
5	बापटला	5	5	1220	4
6	चित्तूर	14	13	2740	8
7	एलुरु	3	3	840	3
8	काकीनाडा	7	6	1320	4
9	कुरनूल	42	42	8880	26
10	नंद्याल	47	46	9460	27
11	नंदमूरी तारका रामा राव	5	5	1040	3
12	पलनाडु	38	34	7720	24
13	पार्वतीपुरम मन्यम	25	22	4720	14
14	प्रकाशम	44	37	8740	28
15	एसपीएसआर नेल्लोर	23	22	4360	12
16	श्री सत्य साई	46	43	9700	30
17	श्रीकाकुलम	44	42	8700	25
18	तिरुपति	10	7	1600	5
19	विशाखापत्तनम	6	4	940	3
20	विजयनगरम	46	43	8980	26
21	वाईएसआर कडप्पा	20	20	5060	17
	कुल	**587**	**528**	**1,16,160**	**352**
